

Order Sheet [Contd]

Case No 235/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27.06.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त राजू उर्फ राजेश की ओर से श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>पुलिस थाना गोहद की ओर से अप0क0 138/17 धारा 354, 506 भा0दं0वि0 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8 की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि प्रकरण में फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर घटना के पांच दिन पश्चात् आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक के बड़े भाई का विवाह दिनांक 02.07.2017 को है, आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त <u>आवेदक/अभियुक्त</u> के विरुद्ध इसी घटना के संबंध में फरियादी पक्ष के द्वारा 151 की कार्यवाही की गई थी, जिसमें कि आवेदक को 16 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था और पुलिस से मिलकर पांच दिन पश्चात् यह मिथ्या प्रकरण दर्ज किया है, जबकि घटना के संबंध में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक को मिथ्या फंसाये जाने का आधार लेते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादिया को लेट्रिन जाते समय बुरी नियत से हाथ पकड़कर खींचने का आरोप है। घटना दिनांक 16.06.17 में होनी दर्शाई गई है, जबकि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 को लेख कराई गई है। <u>आवेदक/अभियुक्त</u> न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा</p>	

सकता है। शेष अनुसंधान हेतु आवेदक/अभियुक्त की आवश्यकता होनी नहीं दर्शाई गई है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से किए गए तर्क एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि उसकी ओर से संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 20,000/- रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो जमानत पर छोड़ा जाए।

शर्तें—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
 3. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
 4. जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
- आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।
- आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
- प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला— भिण्ड म0प्र0

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)